XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1714–दो/14

जिला – उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–9–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता स्थगन एवं समयसीमा के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी नजूल अधिकारी, उमरिया के आदेश दिनांक 30–9–97 के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 4–6–14 को अर्थात 16 वर्ष से अधिक समय उपरांत पेश की गई । इतनी दीर्घ अवधि के विलंब का कोई समुचित एवं समाधान कारक कारण आवेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त नजूल अधिकारी के आलोच्य आदेश दिनांक 30–9–97 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने आवेदक को तलब करने एवं राजस्व निरीक्षक से वर्तमान स्थिति तथा प्रीमियम भू–भाटक का प्रतिवेदन लिए जाने के आदेश दिए हैं एवं प्रकरण में आगामी तिथि 15–10–97 नियत की है । दिनांक 15–10–97 के उपरांत प्रकरण में क्या हुआ इस संबंध में कोई स्थिति आवेदक की ओर से स्पष्ट नहीं की गई है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अवधि बाहय होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय में – श्रीमान राजस्व मंडल महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निग-1714-II-14

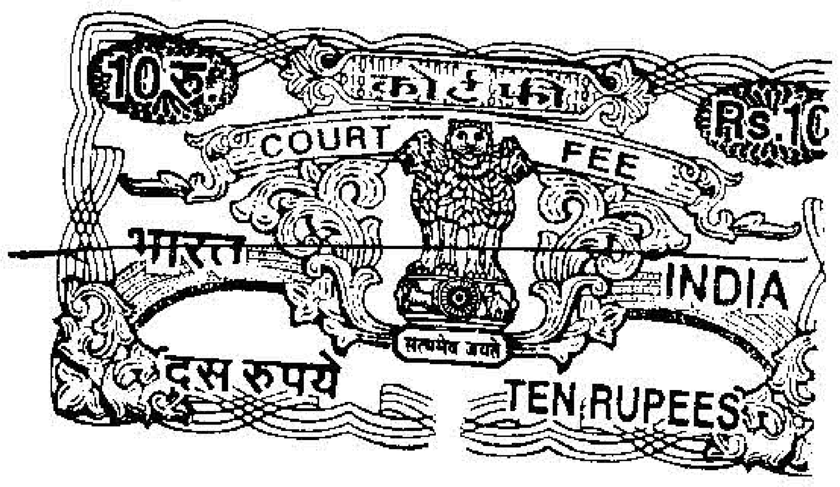

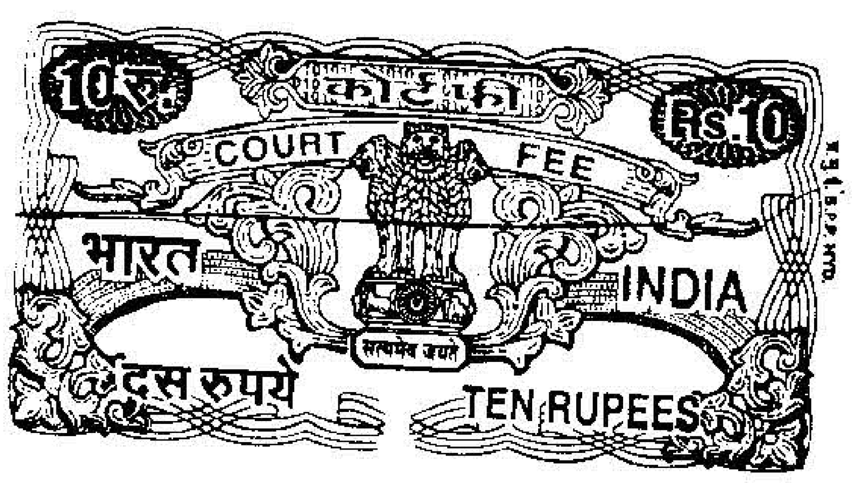

अब्दुल वहीद खान, उम्र 62 वर्ष, पिता स्व0 अब्दुल मजीद खान, निवासी कैम्प उमरिया, वार्ड नं. 11, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया म.प्र.

मुकेश भार्गव एडवोकेट
6-6-14

.... आवेदक / निगरानीकर्ता

5-6-14

बनाम

म.प्र. शासन

.... अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

W3
मुकेश भार्गव
5-6-14 एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा.सं.1959.

विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 745/अ-20/17-80
व 32/अ/20/78/79
नजूल अधिकारी उमरिया (म.प्र.) .... ।
आदेश पारित दि. 30-9-97

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है :–

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वा.

1. यह कि आराजी खसरा नंबर 1505 व 1721 के जुज रकवा 27584 वर्गफिट भूमि जो स्थित ग्राम छटनकैम्प नगरपालिका क्षेत्र उमरिया, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया म.प्र. है।

2. यह कि कण्डिका क्रमांक 1 की आराजी जिस पर 2500 वर्गफिट भूमि लीज पर नजूल द्वारा निगरानीकर्ता के पिता स्व0 अब्दुल मजीद खान को दी गई, शेष भूमि निगरानीकर्ता के कब्जे में हो रही है।

3. यह कि कण्डिका क्रमांक 1 की वर्णित आराजी जिस पर निगरानीकर्ता का कब्जा वर्ष 1955 के पूर्व का है।

अब्दुल वहीद खान